अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण / अनुपालनार्थ

राजकीय रेलेवे पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश

6वॉ तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, पोस्ट बाक्स नं0 441, लखनऊ– 226153

पत्र संख्या: पीआर–26–16 / 2012 (3540) दिनांक: अप्रैल 02, 2012

समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे
उत्तर प्रदेश।

प्राय: देखने में आया है कि रेलगाड़ियों के महिला कोच में पुरुष यात्री प्रवेश कर जाते हैं। इससे जहाँ महिलाओं को बैठने के लिये सीट नही मिल पाती है, वही पुरुष यात्री महिलाओं / लड़कियों से छेड़छाड़ एवं अभद्रता करते है तथा उनके सामान के चोरी की घटनायें हो जाती है।

2– अत: आप सभी यह सुनिश्चित करें कि महिला कोच में कोई भी पुरुष यात्री न प्रवेश करने पाये। इसके लिये रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों की चेकिंग करायी जाय तथा जो भी पुरुष यात्री महिला कोच में पाये जायें, उन्हे बाहर कराया जाये। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं लाउड हेलर द्वारा बार–बार महिला कोच के सामने उद्घोषणा कराई जाये कि कोई भी पुरुष महिला कोच में यात्रा न करें।

3– भारतीय रेल अधिनियम की धारा 162 में महिलाओं के लिये आरक्षित किसी सवारी डिब्बे में पुरुष यात्रियों के यात्रा करने पर कार्यवाही का प्राविधान है। कृपया आप सभी आर0पी0एफ0 एवं रेलवे के सहयोग से इस पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

ह0 / –
(गुरुदर्शन सिंह)
अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक रेलेव, लखनऊ / इलाहाबाद व पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, इलाहाबाद / लखनऊ को भी सूचनार्थ एवं आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हेतु।